



ज्ञान ब्राह्मण-अ (परीक्षा, कोषिका I, II, धातु,
उच्चारण, अक्षर पट्ट परीक्षा
17/8/11

राजस्थान-सरकार

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।

क्रमांक:-एफ-5(1-बी)/प्राशिनि/ई-2/2010-11/1184-32 दिनांक:-12/08/2011

प्रधानाचार्य,
राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय,

प्रधानाचार्य,
राजकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय,

विषय: वर्ष 2010-2011 में सह शिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में चल रहे नए इंजीनियरिंग एवं इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं से ली जाने वाली फीस के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत राज्य सरकार ने अपने पत्रांक एफ-18(5)त.शि./2004 दिनांक 08.08.2011 द्वारा सत्र 2011-12 के लिये शुल्क संरचना निर्धारण किये जाने के फलस्वरूप राज्य के अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में स्व-वित्त पोषित आधार पर संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए तथा राज्य पोषित आधार पर संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए सत्र 2011-2012 में नए प्रवेशित छात्र/छात्राओं से सलग्न विवरण तालिका के अनुसार शुल्क लिया जावे।

सलग्न:-तालिका(2)

भवदीय,

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा

क्रमांक:-एफ-5(1-बी)/प्राशिनि/ई-2/2010-11/

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
02. विशेषाधिकारी, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक एफ-18(5)त.श./2004 दिनांक 08.08.2011 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
03. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, विधि शाखा (निदेशालय) जोधपुर।
04. मुख्य लेखाधिकारी, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।
05. संयोजक, केन्द्रीय प्रवेश एवं प्रधानाचार्य, राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय, अजमेर।
06. संयोजक, (PAET) केन्द्रीय प्रवेश एवं प्रधानाचार्य, राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय, जोधपुर।
07. प्रोग्रामर, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि आप शुल्क संरचना सत्र 2011-12 की सलग्न तालिका को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।
08. प्रधानाचार्य,-----।

संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा

डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क संरचना

(राशि रु. में)

क्र.सं.	मद	राजकीय संस्था व विद्या भवन पॉलिटेक्निक, उदयपुर के राज्य वित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु	
		सत्र 2010-11 में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु	सत्र 2011-12 में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु
1.	राजकीय खाता : प्रवेश शुल्क (मात्र प्रवेश के समय)	100	100
2.	शिक्षण शुल्क	3750*	3750*
3.	अराजकीय खाता : अवधान द्रव्य (मात्र प्रवेश के समय)	2000	2000
4.	विविध मद (परिचय पत्र, पत्रिका शुल्क, परीक्षा शुल्क, ड्राइंग शुल्क व पुस्तकालय शुल्क)	500	1000
5.	पुस्तकालय खुली पुस्तकें (ओपन एक्सेस) शुल्क	200	500
6.	विद्यार्थी क्लब/विद्यार्थी सभा शुल्क	150	250
7.	खेलकूद शुल्क	150	250
8.	विकास शुल्क	2650	4150
	कुल रु.	9500	12000

मद	निजी संस्था, निजी जनसहभागिता संस्था एवं राजकीय पॉलिटेक्निक के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु	
	सत्र 2010-11 में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु	सत्र 2011-12 में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु
शिक्षण शुल्क	12000	14000
अवधान द्रव्य (मात्र प्रवेश के समय)	5000	7500
विकास शुल्क	8000	8000
कुल रु.	25000	29500

* राजकीय पॉलिटेक्निक के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेशित महिला/राज्य कर्मचारियों के आश्रित, जो आयकर नहीं देते/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा।

नोट : 1. प्रवेश शुल्क एवं अवधान द्रव्य के अतिरिक्त अन्य सभी शुल्क प्रति वर्ष देय होंगे।

2. उक्त शुल्क में परिवर्तन की सम्भावना है। अतः शुल्क में परिवर्तन किया जाता है तो तदनुसार शुल्क जमा करवाना होगा।

3. विद्या भवन पॉलिटेक्निक, उदयपुर के राज्य वित्तपोषित पाठ्यक्रम सिविल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के शुल्क राजकीय संस्थानों के अनुसार ही होगी।

4. विद्या भवन पॉलिटेक्निक, उदयपुर के स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम विद्युत, कम्प्यूटर साइन्स एवं इंजीनियरिंग तथा इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी के शुल्क निजी संस्थानों के अनुसार ही होगी। निजी जन सहभागिता योजनान्तर्गत संचालित महिला पॉलिटेक्निक हेतु शुल्क निजी संस्थाओं के अनुरूप ही होगा।

5. राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निजी संस्थाओं के अनुरूप ही होगा।

6. अवधान द्रव्य राशि पाठ्यक्रम की समाप्ति या संस्था छोड़ने पर लौटा दी जायेगी।

डिप्लोमा नॉन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क संरचना

(राशि रु. में)

क्र.सं.	मद	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के नॉन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु		राजकीय सहशिक्षा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय व पॉलिटेक्निक पाली के नॉन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु	
		सत्र 2010-11 में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु	सत्र 2011-12 में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु	सत्र 2010-11 में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु	सत्र 2011-12 में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु
1.	राजकीय खाता : प्रवेश शुल्क (मात्र प्रवेश के समय)	100	100	100	100
2.	शिक्षण शुल्क	Nil	Nil	3750*	3750*
3.	अराजकीय खाता : अवधान द्रव्य (मात्र प्रवेश के समय)	2000	2000	2000	2000
4.	विविध मद (परिचय पत्र, पत्रिका शुल्क, परीक्षा शुल्क, ड्राइंग शुल्क व पुस्तकालय शुल्क)	500	1000	500	1000
5.	पुस्तकालय खुली पुस्तकें (ओपन एक्सेस) शुल्क	200	500	200	500
6.	विद्यार्थी क्लब/विद्यार्थी सभा शुल्क	150	250	150	250
7.	खेलकूद शुल्क	150	250	150	250
8.	विकास शुल्क	2650	4150	2650	4150
	कुल रु.	5750	8250	9500	12000

मद	निजी जन सहभागिता योजनान्तर्गत संचालित महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के स्ववित्त पोषित के नॉन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु	
	सत्र 2010-11 में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु	सत्र 2011-12 में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु
शिक्षण शुल्क	12000	14000
अवधान द्रव्य (मात्र प्रवेश के समय)	5000	7500
विकास शुल्क	8000	8000
कुल रु.	25000	29500

* राजकीय पॉलिटेक्निक के नॉन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेशित महिला/राज्य कर्मचारियों के आश्रित, जो आयकर नहीं देते/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा।

- नोट :**
1. प्रवेश शुल्क एवं अवधान द्रव्य के अतिरिक्त अन्य सभी शुल्क प्रति वर्ष देय होंगे।
 2. उक्त शुल्क में परिवर्तन की सम्भावना है। अतः शुल्क में परिवर्तन किया जाता है तो तदनुसार शुल्क जमा करवाना होगा।
 3. अवधान द्रव्य राशि पाठ्यक्रम की समाप्ति या संस्था छोड़ने पर लौटा दी जायेगी।

**डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में
पार्श्व प्रवेश से द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु शुल्क संरचना**

(राशि रु. में)

क्र.सं.	मद	राजकीय संस्था व विद्या भवन पॉलिटेक्निक, उदयपुर के राज्य वित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु	
		सत्र 2010-11 में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु	सत्र 2011-12 में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु
1.	राजकीय खाता : प्रवेश शुल्क (मात्र प्रवेश के समय)	100	100
2.	शिक्षण शुल्क	3750*	3750*
3.	अराजकीय खाता : अवधान द्रव्य (मात्र प्रवेश के समय)	2000	2000
4.	विविध मद (परिचय पत्र, पत्रिका शुल्क, परीक्षा शुल्क, ड्राइंग शुल्क व पुस्तकालय शुल्क)	500	1000
5.	पुस्तकालय खुली पुस्तकें (ओपन एक्सेस) शुल्क	200	500
6.	विद्यार्थी क्लब/विद्यार्थी सभा शुल्क	150	250
7.	खेलकूद शुल्क	150	250
8.	विकास शुल्क	2650	4150
	कुल रु.	9500	12000

मद	निजी संस्था, निजी जनसहभागिता संस्था एवं राजकीय पॉलिटेक्निक के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु	
	सत्र 2010-11 में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु	सत्र 2011-12 में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु
शिक्षण शुल्क	12000	14000
अवधान द्रव्य (मात्र प्रवेश के समय)	5000	7500
विकास शुल्क	8000	8000
कुल रु.	25000	29500

* राजकीय पॉलिटेक्निक के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेशित महिला/राज्य कर्मचारियों के आश्रित, जो आयकर नहीं देते/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा।

- नोट :**
1. प्रवेश शुल्क एवं अवधान द्रव्य के अतिरिक्त अन्य सभी शुल्क प्रति वर्ष देय होंगे।
 2. उक्त शुल्क में परिवर्तन की सम्भावना है। अतः शुल्क में परिवर्तन किया जाता है तो तदनुसार शुल्क जमा करवाना होगा।
 3. विद्या भवन पॉलिटेक्निक, उदयपुर के राज्य वित्तपोषित पाठ्यक्रम सिविल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के शुल्क राजकीय संस्थानों के अनुसार ही होगी।
 4. विद्या भवन पॉलिटेक्निक, उदयपुर के स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम विद्युत, कम्प्यूटर साइन्स एवं इंजीनियरिंग तथा इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी के शुल्क निजी संस्थानों के अनुसार ही होगी। निजी जन सहभागिता योजनान्तर्गत संचालित महिला पॉलिटेक्निक हेतु शुल्क निजी संस्थाओं के अनुरूप ही होगा।
 5. राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निजी संस्थाओं के अनुरूप ही होगा।
 6. अवधान द्रव्य राशि पाठ्यक्रम की समाप्ति या संस्था छोड़ने पर लौटा दी जायेगी।

राजस्थान-सरकार

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।

क्रमांक:-एफ-5(1-बी)प्राशिनि/ई-2/2012-13/ 8800-37

दिनांक:-01/8/12

प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, -----	प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, -----
---	---

विषय: वर्ष 2012-2013 में सह शिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2012-2013 में राजकीय सह शिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क में से 400/-रुपये प्रति छात्र की दर से राजकीय मद में जमा होगी। शिक्षण शुल्क की शेष राशि संस्थान विकास कोष में जमा होगी :-

मद	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजकीय खाता						
प्रवेश शुल्क (केवल प्रवेश के समय)	---	---	---	---	---	100.00
शिक्षण शुल्क	3900.00	3900.00	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00
अराजकीय खाता						
विविध मद	500.00	500.00	500.00	500.00	1000.00	1000.00
पुस्तकालय खुली पुस्तकें (ओपन एक्सेस) शुल्क	200.00	200.00	200.00	200.00	500.00	500.00
विद्यार्थी क्लब/सभी शुल्क	150.00	150.00	150.00	150.00	250.00	250.00
खेलकूद शुल्क	150.00	150.00	150.00	150.00	250.00	250.00
विकास शुल्क	1500.00	1500.00	2650.00	2650.00	4150.00	4150.00
अवधान द्रव्य (केवल प्रवेश के समय)	---	---	---	---	---	2000.00

नोट :-

- राज्य सरकार के आदेशानुसार राजकीय सह शिक्षा पॉलिटेक्निक व राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में छात्राओं से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- राज्य सरकार के आदेशानुसार सत्र 2001-2002 से विकास शुल्क में रुपये 500/- (रुपये पांच सौ मात्र) प्रतिवर्ष प्रति छात्र की वृद्धि की गई है। जिसका उपयोग कम्प्यूटर हार्डवेयर कय/साफ्टवेयर कय/मरम्मत एवं क्रमोन्मन में नियमानुसार किया जावें।

भवदीय,
25/8/12

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा

दिनांक:-

क्रमांक:-एफ-5(1-बी)प्राशिनि/ई-2/2012-13/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त निदेशक एवं सचिव, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
- मुख्य लेखाधिकारी, /सहायक निदेशक, (सांख्यिकी) तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।
- संयोजक, केन्द्रीय प्रवेश एवं प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जोधपुर।

संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा